

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Arbitration Case No.- 40/2020

Susila DeviPetitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors.....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	11.2.2026	<p>सुनवाई में Petitioner अनुपस्थित हैं। Petitioner वाद अधिग्रहण के बाद से ही सुनवाई में अनुपस्थित हैं। विपक्षी (DLAO एवं NHAI) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा वाद में अभिरूचि नहीं ली जा रही है। तथा यह कि उनकी ओर से दाखिल जवाब के आलोक में यह Arbitration वाद खारिज करने योग्य है। उनकी ओर से दिनांक-02.12.2025 को पारित आदेश के आलोक में Arbitration वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक-02.12.2025 को पारित आदेश/वादी का इस वाद की कार्यवाही में अभिरूचि नहीं रहने के आलोक में इस Arbitration वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p><u>R.K.</u> 11/2/26. आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।</p> <p><u>R.K.</u> 11/2/26. आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।</p>	

